भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3436

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

शीतल पेय के निर्माण के लिए लाइसेंस

†3436. डॉ. थोल तिरूमावलवनः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा शीतल पेय के निर्माण हेतु लाइसेंस प्रदान किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो शीतल पेय के रूप में वर्गीकृत पेय पदार्थों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वातित जल के निर्माण हेतु पृथक लाइसेंस प्रदान किया जाता है; और

(घ) यदि हाँ, तो वातित जल के रूप में वर्गीकृत जलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को कोई भी खाद्य व्यवसाय शुरू करने से पहले खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमन (एफएसएसआर) के अंतर्गत पात्रता मानदंडों के अनुसार लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है। कोई भी व्यक्ति वैध लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाणपत्र के बिना व्यवसाय नहीं कर सकता।

शीतल पेय सहित खाद्य उत्पाद बनाने वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के अंतर्गत लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करना होता है। एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमन, 2011 के अंतर्गत कार्बोनेटेड फल पेय या फल पेय, कार्बोनेटेड जल, कैफीनयुक्त पेय, गैर-कार्बोनेटेड जल आधारित पेय (गैर-अल्कोहलिक) आदि जैसे विभिन्न पेय पदार्थों के लिए मानक निर्दिष्ट किए हैं। इन सभी मानकीकृत उत्पादों को खाद्य सुरक्षा एवं अनुपालन प्रणाली (एफओएससीओएस) पोर्टल के अंतर्गत संबंधित खाद्य श्रेणी के अनुसार मैप किया गया है, जिसका उपयोग लाइसेंसिंग और पंजीकरण के उद्देश्य से किया जाता है।

*****